प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद

दिनांकः-12-11-2022

1-फर्जी जमानत लेने की महिला आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्सः-

अवगत कराना है कि दिनांक 02-02-2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार थाना सिविल लाईन्स ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज व थाने की फर्जी मोहर तैयार कर अभियुक्त की फर्जी तरीके से जमानत कराने के संबंध मे थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-106/2022 धारा-420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-11-2022 को व0उ0नि0 श्री बृजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के महिला अभियुक्त रूखसार पत्नी अकील निवासी बेगम सराय वाली मस्जिद निकट कब्रिस्तान असालतपुरा थाना गलशहीद, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-ट्यूबवैल का सामान चोरी करने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि दिनांक 11-11-2022 को वादी श्री नवीलउद्दीन पुत्र श्री जमालुद्दीन निवासी ग्राम शिवनगर पत्थर खेड़ा थाना ठाकुरद्वारा , मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी का स्टार्टर व गांव के किशन सिंह पुत्र रामस्वरूप के बोरिंग से चेक बाल, फूटवाल मय कोनी व पृथ्वी सिंह पुत्र स्व0 नत्थू सिंह के ट्यूबवेल से बाल मय बैंड के खोलकर चोरी करने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-500/2022 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-11-2022 को उ0नि0 श्री देव सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त 1-गौरव पुत्र ओमप्रकाश 2-कुलदीप पुत्र बलजीत निवासीगण किशनपुर गावडी थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी किये स्टार्टर, चैकबाल, फूटवाल मय कोनी, वाल मय बैंड बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 वृद्धि की गयी।

3-गोवंशीय पशु का वध करने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक बांधने का वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-10-2022 को वादी उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मैनाठेर ने अभियुक्तगण द्वारा गौवंशीय पशु को क्रूरता पूर्वक बांधना व गोवंशीय पशु काटने के उपकरण मौके पर छोड़ कर भाग जाने के संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 292/2022 धारा 3/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-11-2022 को उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मुशर्रफ पुत्र भोलू निवासी ग्राम मिलक लालपुर गंगवारी थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-दहेज हत्या का आरोपी गिरफ्तार, थाना मूढापाण्डेः-

अवगत कराना है कि दिनांक 06-10-2022 को वादी निवासी थाना मूढापांडे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन से दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने, मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने के संबंध में थाना मूंढापांडे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूंढापांडे पर मु0अ0सं0-291/2022 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-11-2022 को उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना मूंढापांडे द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त प्रेमवीर उर्फ हुकुम सिंह पुत्र राजाराम निवासी ग्राम हसनगंज थाना मूंढापांडे, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5- गौ तस्कर एंव गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मियाँ जान की करीब 17,92,697/- रूपये की चल-अचल सम्पत्ति को थाना बिलारी पुलिस ने किया कुर्क ।

अवगत कराना है पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ एंव अपर पुलिस महानिदेशक बरेली, जोन बरेली, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद, परिक्षेत्र मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार अवैध गौ तस्करी के अपराध कारित कर आपराधिक क्रिया कलापो से अर्जित की गयी अवैध चल एवं अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण (कुर्क) हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बिलारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-239/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मियाँ जान पुत्र अलीजान निवासी थांवला रोड रुस्तमनगर सहसपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद की करीब 17,92,697 /- रुपये की चल-अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद, उप जिला मजिस्ट्रेट बिलारी, एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के निर्देशन तथा कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.11.2022 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहासः-
मियां जान पुत्र अली जान निवासी थांवला रोड उत्तम नगर सहसपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद
मु0अ0सं0 224/2021 धारा 3/5/8 गोबध अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
मु0अ0स0-239/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 थाना बिलारी, मुरादाबाद

कुर्क किये जाने वाली सम्पत्तिः-
एक आवासीय मकान थांवला रोड रुस्तम नगर सहसपुर कीमत करीब 17,92,697/- रूपये
नोटः- कुर्क किये जाने वाली सम्पत्ति का अनुमानित कुल मूल्य- 17,92,697/- रुपये